न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 80/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. जसवंत पुत्र श्रीचन्द जाति—जाट निवासी बोलांवाली तहसील—संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. शीशपाल पुत्र श्रीचन्द जाति—जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)।
3. सुन्दर देवी पत्नी जसवंत पुत्र श्री चन्द जाति—जाट निवासी—बोलांवाली तहसील—संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)।
4. सुमित्रा देवी पत्नी शीशपाल पुत्र श्री चन्द जाति—जाट निवासी बोलांवाली तहसील—संगरिया जिला हनुमानगढ (राज)।

वादीगण

बनाम

1 श्रीचन्द पुत्र रामकरण जाति—जाट निवासी बोलांवाली तहसील—संगरिया 1 जिला हनुमानगढ (राज)।
2 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री नरेश मण्डा एडवोकेट (वादी)
2. श्री संजय धारणियां एडवोकेट (प्रति.सं. 1)

निर्णय दिनांकः— 13.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादीगण सं. 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 3 व 4 के ससूर के नाम से चक 16 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता 136/42 व चक 15 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2072—2075 के खाता सं.—192/127 में नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज उक्त नहरी कृषि वादीगण सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 1 विरासतन कृषि भूमि है प्रतिवादी सं. 1 के वादी सं.1 व 2 कुल दो ही वारीस है इनके अलावा ओर कोई वारीस नही है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के मध्य अर्सापूर्व घरेलू बटवारा हो चुका है बटवारा के मुताबिक ही वादीगण अपनी—अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे वादीसं. 1 अपने हिस्सा की भूमि में से उपहार स्वरूप अपनी पत्नी वादी सं. 3 को 1.012है. नहरी कृषि भूमि दे दी थी जिसे वादी सं. 3 ने सहर्ष स्वीकार कर ली थी इस प्रकार वादी सं. 2 ने अपने हिस्सा की भूमि में से अपनी पत्नी प्रतिवादी सं.4 को 1.012है. नहरी कृषि भूमि को उपहार स्वरूप दान में दे दी थी जिसे प्रतिवादी सं.4 ने सहर्ष स्वीकार कर ली थी व प्रतिवादी सं. 1 ने घरेलू बटवारा में चक 15 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2072—2075 के खाता सं.—192/127 में 0.772 है. कृषि भूमि अपने पास रखी है जिसे वादीगण मुताबिक घरेलू बटवारा के काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसे वादीगण अपने नाम से हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पंचायत में अच्छी—मन्दी के हिसाब से घेरलू बटवारा कर लिया है कब्जा काश्त बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व मन—मुटाव नही है अर्सा पूर्व से मुताबिक कब्जा काश्त के चक 16 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता 136/42 में वादी सं. 1 को 0. 759 है. कृषि भूमि, वादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि, वादी सं. 3 को 1.012 है कृषि भूमि वादी सं. 4 को 1.012 है. कृषि भूमि निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है जिसे वादीगण अपने पिता/ससूर के नाम से दर्ज भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त व घरेलू बटवारा के खातेदार काश्तकार घोषित कर चक 16 बीजीपी जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता 136/42 से प्रतिवादी सं.1 श्रीचन्द पुत्र रामकरण का नाम कलमजन करवाने करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है । वादीगण को प्राप्त कृषि भूमिः— चक 16 बी.जी.पी. के खाता सं. 136/42 (क) वादी सं. 1 जसवन्त पुत्र श्रीचन्द 0.759है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जिला हनुमानगढ (ख) वादी सं. 2 शीशपाल पुत्र श्रीचन्द 0.759है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ (ग) वादी स. 3 सुन्दर देवी पत्नी जसवन्त 1.012 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ (घ) वादी सं. 4 सुमित्रा देवी पत्नी शीशपाल 1.012 है. जाति जाट निवासी बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ इस प्रकार कुल–3.542है. नहरी कृषि भूमि वादीगण वाद–पत्र की चरण सं. 3 के खण्ड (क) (ख) (ग) (घ) अनुसार काबिज होकर निर्विवादरूप से शान्तिपूर्ण तरीके अपनी काश्त कर रहे है कब्जा काश्त बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा अनुसार घोषणा न होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा असर पड़ता है व रकम राज वाटरमेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी का वादी को दावा की चरण सं. उखण्ड (क) (ख) के अनुसार कृषि भूमि घोषित करवा देवें तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटॉल करते रहे लेकिन अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण, वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गये यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 2 को भूमि धारक होने के कारण पक्षकार के रूप संयोजित किया गया है। वाद कृषि भूमि के घोषणा एवं खाता विभाजन का है जो कि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है व अन्दर मियाद है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार

लिहाजा वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे कि चक 16 बी.जी.पी.. जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता सं.–136/42 में वादी सं. 1 को 0.759है, वादी सं.2 को 0.759है. वादी सं.3 को 1.012है., वादी सं.4 को 1. 012है. का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 श्रीचन्द पुत्र रामकरण का कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी जसवन्त ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये:–

1. चक 15 बीजीपी खाता सं. 136/42 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 की जमाबंदी प्रदर्श 1
2. चक 15 बीजीपी खाता सं. 192/127 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 की जमाबंदी प्रदर्श 2
3. दस्तबरदारी तीतादेवी वगैरा बहक श्रीचन्द वगैरा की फोटो प्रति।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक चक 16 बीजीपी खाता सं. 136/42 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादी संख्या 3 व 4 के ससूर प्रतिवादी संख्या 1 श्रीचन्द पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 16 बीजीपी की दस्तबरदारी तीजादेवी वगैरा बहक श्रीचन्द वगैरा की फोटोप्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 वादी संख्या 1 व 2 का पिता व वादी संख्या 3 व 4 का ससूर है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 बी.जी.पी. के एकल

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी

खाता सं. 136/42 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो दस्तबरदारी की फोटोप्रति से विरासतन साबित है एव प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि वादी संख्या 1 अपना समस्त हिस्सा प्राप्त न कर कुछ हिस्सा अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 3 सुन्दर देवी तथा वादी संख्या 2 अपना समस्त हिस्सा प्राप्त न कर कुछ हिस्सा अपनी पत्नि प्रतिवादी संख्या 4 सुमित्रा देवी के पक्ष में भी छोड़ रहे है। लेकिन यह कार्यवाही पक्षकारान ने राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाने के लिए की गई है। जिससे न्यायालय खातेदारी अधिकारों की घोषणा से पूर्व राज्य हित को देखना नितान्त आवश्यक समझा और ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पक्ष में हुए हिस्से के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क वसूल करने के आदेश दिये जाकर वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 एव वादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी 4 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 16 बी.जी.पी. खाता सं. 136/42 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में दर्ज कृषि भूमि में से वादी वादी संख्या 1 को 0.759 है. वादी संख्या 2 को 0.759 है. वादी संख्या 3 को 1.012 है. वादी संख्या 4 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्तानुसार पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया